



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/म.शा. /2026/.....638

भोपाल, 03/06/2026

दर-आमंत्रण

प्रति,

-----,
-----,
-----,

विषय : विश्वविद्यालय के बिसनखेड़ी परिसर स्थित माँ नर्मदा कन्या छात्रावास में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए दरें आमंत्रित।

विश्वविद्यालय के बिसनखेड़ी परिसर स्थित माँ नर्मदा कन्या छात्रावास में 20 नग नये सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने के लिए दरें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता अपनी दरें "कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल" के नाम से दिनांक 03-06-2026 को अपरान्ह 3.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/कोरियर/पत्रवाहक के माध्यम से भण्डार शाखा, चाणक्य भवन, प्रथम तल, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, माखनपुरम, म.प्र.शूटिंग अकादमी के पास, बिसनखेड़ी, भोपाल-462044 (म.प्र.) के पते पर भेज सकते हैं। 20 नग सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जाने की सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	सामग्री का विवरण	संख्या	उल्लेखित राशि प्रति नग समस्त कर सहित अंको में (शब्दों में)
1.	IP 2 MP Camera (cp plus) stqc approved	20 नग	
2.	NVR 32 Channel	01 नग	
3.	8 Port Poe	03 नग	
4.	CAT 6 Cable (As per Atual Length)	300 मीटर	
5.	PVC Box	20 नग	
6.	Rack	04 नग	
7.	Installation Commissioning Networking of Camera	1 Complete Job	

नियम व शर्तें :-

1. निर्धारित समयावधि के पश्चात् फर्मों से प्राप्त दरों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय के बिसनखेड़ी परिसर स्थित माँ नर्मदा कन्या छात्रावास में निर्धारित स्थान एवं समय पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना होगा।
3. फर्म/संस्था/प्रोपाइटर का जी.एस.टी. नंबर तथा पैन कार्ड संलग्न करें।
4. किसी भी दर आमंत्रण निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

-2-

5. सी.सी.टी.वी कैमरे की वारंटी अवधि तक आवश्यकता पड़ने पर आपको विश्वविद्यालय में उपस्थित होना होगा।
6. सामग्री की गुणवत्ता अपेक्षित मानदण्डों के अनुरूप न होने पर भुगतान देय नहीं होगा।
7. कार्य आदेश जारी करने के 3 कार्यालयीन दिवस में सामग्री की आपूर्ति विश्वविद्यालय में करनी होगी।
8. भुगतान हेतु देयक तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे।
9. सी.सी.टी.वी कैमरे की वारंटी अवधि का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा।

(प्रो. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव

भोपाल, 03/06/2026

पृ. क्र./भ.शा./2026/.....639

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, कुलगुरु/कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रस्तुत।
3. समन्वयक, वेब साइट संधारण को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
4. प्रभारी, भण्डार शाखा को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
5. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव